

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

103 - ब्यावर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री शंकरसिंह रावत

36 हिम्मतपुरा गांव कालीकांकर पोस्ट किशनपुरा तह. ब्यावर पिन 305927

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- अजमेर

दिनांक- 03-12-2023



मदन सिंह
(रिटर्निंग ऑफिसर)
रिटर्निंग अधिकारी
103-ब्यावर
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
उपखण्ड अधिकारी क्षेत्र - उपखण्ड
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र - उपखण्ड
मजिस्ट्रेट ब्यावर

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the 103-BEAWAR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri SHANKERSINGH RAWAT
36 HIMMATPURA VILLAGE KALIKANKAR POST KISHANPURA TH.
BEAWAR PIN 305927

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- AJMER

Dated- 03-12-2023



Handwritten signature of Mridul Singh

MRIDUL SINGH

Returning Officer

103-Beawar

Sub Divisional Officer & Sub

Divisional Magistrate

MRIDUL SINGH
RETURNING OFFICER
ASSEMBLY CONSTITUENCY 103-BEAWAR
(Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate Beawar)